

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 977 /2019 दिनांक : 1.5.2019

श्रीमती माधवी दिनकर (RJ0157), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), टोंक को दिनांक 13.05.2019 से 22.05.2019 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 11.05.2019 से 12.05.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती दिनकर की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), टोंक के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/23/1994/4623

दिनांक : 1.5.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), टोंक को उनके पत्रांक 149 दिनांक 12.04.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती माधवी दिनकर (RJ0157), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), टोंक।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।

  
सहायक रजिस्ट्रार